



॥ प्रकृति: रक्षति रक्षित ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक - 2233 / 12-1

मसूरी, दिनांक - 11 / 11 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या-08बी०यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23, दिनांक-02.05.2020 एवं आपका पत्रांक-2445/FP/UK/ROAD/20710/2016, दिनांक-08.05.2020।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-750/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-14.09.2020 एवं 966/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-03.11.2020 से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको निम्नवत् प्रेषित है :-

2. शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।(संलग्नक-01)
3. शर्त संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी, के पालन किये जाने का उल्लेख किया गया है।
4. शर्त संख्या-03 (क) का अनुपालन प्रभागीय वनधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

(ख) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम खारसी सिविल के खाता संख्या-00196 के खसरा नं० 2336 कुल रक्बा 61.00 में से 7.1 हे० भूमि अन्तर्गत श्रेणी 5(3)ड-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को उत्तरखण्ड वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किया जा चुका है, जिस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून का पत्र संख्या-1141/12ए-143(2014-17)/डी०एल०आर०सी०/2015, दिनांक-18.01.2016 एवं खाता-खतौनी संलग्न की गयी है। (संलग्नक-2)

5. शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु ₹ 23,79,170.00 (तेईस लाख उनासी हजार एक सौ सत्तर रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
6. शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि ₹ 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्यासी हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

- शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (संलग्नक-3)
7. शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में क्षेत्रीय वन कर्मियों के सख्त पर्यवेक्षण में न्यूनतम पेड़ों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 है।
8. शर्त संख्या-07 के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र चकराता वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत है, अतः इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
9. शर्त संख्या-08 के अनुपालन में यदि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के पातन तथा कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी जाती है तो उच्च स्तर को सूचित किया जायेगा तथा अनुमति के एक वर्ष के पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त ना होने की दशा में निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न है। (संलग्नक-4)
10. शर्त संख्या-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियों की कुल ₹ 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) की धनराशि <https://parivesh.nic.in> के माध्यम से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-5)
11. शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा, जो कि संलग्न किये गये हैं। (संलग्नक-6)
12. शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि आई0आर0सी के मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ों की संख्या बढ़ाई जायेगी। (संलग्नक-7)
13. शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे। (संलग्नक-8)
14. शर्त संख्या-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि CWLW/NBWL/FC/IRC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किये जायेंगे। (संलग्नक-9)
15. शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा। (संलग्नक-10)
16. शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक-11)
17. शर्त संख्या-16 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि में कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-12)
18. शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकेल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकेल्पिक ईंधन दिया जायेगा। (संलग्नक-13)
19. शर्त संख्या-18 के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक-14)
20. शर्त संख्या-19 के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)

21. शर्त संख्या-20 के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक-16)
22. शर्त संख्या-21 के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक-17)
23. शर्त संख्या-22 के अनुपालन में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक-18)
24. शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा, एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश संख्या-11-42/2017-FC, दिनांक-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इन शर्तों का पालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
25. शर्त संख्या-24 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होंगी, इन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
26. शर्त संख्या-26 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल(<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड कर दी गयी है।

कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि (तीन प्रतियों में)

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

संख्या:- _____ / 12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को उपरिलिखित शर्त संख्या-07 के क्रम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1580/FP/UK/ROAD/20710/2016 :देहरादून:

दिनांक 4 दिसम्बर, 2020

1/ प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

2 अघिरासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड,
0-इन्दिरानगर, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से मितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑन-लाईन पत्रावली संख्या- FP/UK/ROAD/20710/2016)


संदर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी की पत्र संख्या 2233/12-1 दिनांक 11.11.2020.

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जोकि अपूर्ण है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दु संख्या-2, 3, 7, 8, 24 एवं 25 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/आख्या उपलब्ध करायी जानी शेष है। इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या आन-लाईन ई-पोर्टल पर अपलोड भी की जानी अपेक्षित है।

संलग्नक :-यथोपरि।

भवदीय,


अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या _____ /FP/UK/ROAD/43062/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया स्वयं से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 4114
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 10/12/2020
4d37
प्रभागीय वनाधिकारी

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 4807/12-1

मसूरी, दिनांक- 28/10/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/०६/१२०/२०१८/एफ०सी०/२३, दिनांक-०२.०५.२०२०।
2. आपकी पत्र संख्या-1580/FP/UK/ROAD/20710, दिनांक-०४.१२.२०२०।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-७१/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-१७.०१.२०२२।

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित बिन्दु संख्या-०२, ०३, ०७, ०८, २४ एवं २५ से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि निम्नवत् प्रेषित है :-

1. शर्त संख्या ०२ के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक-१)।
2. शर्त संख्या ०३ (क) अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
शर्त संख्या ०३ (ख) के अनुपालन में अनुपालन आख्या व सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व में ही आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-२२३३/१२-१, दिनांक-११.११.२०२० से उपलब्ध कराये गये हैं।
3. शर्त संख्या ०७ का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
4. शर्त संख्या ०८ के अनुपालन में आख्या एवं प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या-२२३३/१२-१, दिनांक-११.११.२०२२ से आपके कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-२)।
5. शर्त संख्या २४ के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न कर आपको प्रेषित है (संलग्नक-३)।
6. उल्लिखित शर्त संख्या-२५ के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल(<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या:-

4807

तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

P.T.O.

2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी को इस आशय से प्रेषित है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 (क) व 07 के अनुपालन आख्या/प्रमाण पत्र नोडल कार्यालय, वन संरक्षण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-

2115 / FP/UK/ROAD/20710/2016 देहरादून:दिनांक:

5 मार्च, 2022

सेवा में,

1. उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

2. अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
देहरादून।



विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-आपका पत्रांक-4807/12-1, दिनांक-28.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपके द्वारा प्रश्न उत्तर कॉलम बनाकर प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 आदि की धनराशि जमा करवाकर अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार परिपूर्ण अनुपालन आख्या सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक-226 दिनांक-23.07.2021 में दिये गये प्रारूप के अनुसार प्रश्न उत्तर कॉलम बनाकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

माननीय
21/3/22

मसूरी वन प्रभाग मसूरी
प्राप्ति संख्या... 8067
पत्रावली संख्या... 12-1
दिनांक... 14/03/2022

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या / FP/UK/ROAD/123014/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

॥ प्रकृति: रक्षति रक्षिता ॥

पत्रांक- 5184 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 28 / 03 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :-

- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या-08बी०/यू०सी०पी०/०६/१२०/२०१८/एफ०सी०/२३, दिनांक-०२.०५.२०२०
- 2- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-२१५/FP/UK/ROAD/20710/2010, दिनांक-०५.०३.२०२२।
- 3- इस कार्यालय की पत्र संख्या-४८०७/१२-१, दिनांक-२८.०२.२०२२।
- 4- इस कार्यालय की पत्र संख्या-२२३३/१२-१, दिनांक-११.११.२०२०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या-२२३३/१२-१, दिनांक-११.११.२०२० व ४८०७/१२-१, दिनांक-२८.०२.२०२२ से मय संलग्नको के पूर्व में ही उच्च स्तर को उपलब्ध करायी गयी। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से अनुपालन प्रश्न-उत्तर कॉलम में बनाकर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको निम्नवत् प्रेषित है :-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या-०१ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या-०२ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ७.०५६ हे० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० २३३६ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त संख्या-३(क) के अनुपालन प्रभागीय वनधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

<p>ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>शर्त संख्या-3 (ख) के अनुपालन में क्षतिपूर्व वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम खारसी सिविल के खाता संख्या-00196 के खसरा नं० 2336 कुल रक्बा 61.00 में से 7.1 हे० भूमि अन्तर्गत श्रेणी 5(3)ड-अन्य कृषि योग्य वंजर भूमि को उत्तराखण्ड वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के आदेश जिलाधिकारी, देहरादून का पत्र संख्या-1141/12ए-143(2014-17)/डी०एल०आर०सी /2015, दिनांक- 18.01.2016 द्वारा किये गये हैं। उक्त आदेश की प्रति तथा खाता-खतौनी संलग्न कर नोडल कार्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या-2233/12-1, दिनांक-11.11.2020 से उपलब्ध करा दिये गये हैं।</p>
<p>4- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु रू० 23,79,170.00 (तेईस लाख उनासी हजार एक सौ सत्तर रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।</p>
<p>5- शर्त संख्या-05(क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>शर्त संख्या-05(क) के अनुपालन अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रू० 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्यासी हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।</p> <p>शर्त संख्या-05(ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, जो बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)</p>
<p>6- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभागके सख्त पर्यवेक्षण में</p>	<p>शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में क्षेत्रीय वन कर्मियों के सख्त पर्यवेक्षण में न्यूनतम पेड़ों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के</p>

	कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	अनुसार 158 है।
7-	DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	शर्त संख्या 07 के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र चकराता वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत है, अतः इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
8-	State govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त संख्या 08 के क्रम में अवगत कराना है कि यदि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व प्रभाग स्तर वृक्षों के पातन एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो उच्च स्तर को उक्त सूचना प्रेषित की जायेगी, तथा यह अनुमति एक साल के लिए ही वैध होगी, इस अनुमति की वैधता समाप्त होने जाने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति से पूर्व कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
9-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित किए जाएंगे।	शर्त संख्या 09 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियों की कुल ₹ 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) की धनराशि (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी रसीद संलग्न है।
10-	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा, जो कि संलग्न किये गये हैं।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि आईआरसी के मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
12-	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।
13-	CWLW/NBWL/FC/IRC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि CWLW/NBWL/FC/IRC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किये जायेंगे।

14-	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
15-	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
16-	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है।
17-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।
18-	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा, इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
19-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20-	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
21-	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं की जाएगी। प्रमाण पत्र संलग्न है।
22-	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या 22 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

23-	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017.FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
24-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
25-	अनुपालना ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 25 के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

महोदय, उक्त शर्तों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व में ही तीन प्रतियों में संलग्न कर नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है। पुनः दो प्रतियों में उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि (दो प्रतियों में)

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या:- 5184 / 12-1, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, कालसी को उपरिलिखित शर्त संख्या-3 एवं 7 के क्रम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड इन्दिरानगर देहरादून।

(कहकशां नसीम)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in

Phone/Fax-0135-2631765

॥ प्रकृति: रक्षति रक्षिता ॥

पत्रांक-

3988 / 12- 1

मसूरी, दिनांक- 06 / 03 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय:-

जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम-पुरुकुल गांव से मितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :-

आपकी पत्र संख्या-2855 / 12-1, दिनांक-09.02.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या-1580 / FP/UK/ROAD/20710/2016, दिनांक-04.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम-खारसी जो कि आपके कार्यक्षेत्रान्तर्गत है, से सम्बन्धित सूचना/दस्तावेज यथा जिलाधिकारी का उक्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करने का आदेश एवं खसरा-खतौनी की मूल प्रतियां चाही गयी है।

उक्त दस्तावेज प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून के द्वारा अपने पत्र संख्या-199 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0-दे0दून, दिनांक-26.02.2021 से आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए नोडल कार्यालय को उनके सन्दर्भित पत्र के अनुपालनार्थ वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

संख्या:- 3988 / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फॉक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4454 / 12-1

चकराता, दिनांक 31 मई 2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
चकराता।

विषय:-


जनपद-देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम-पुरुकुल गॉव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०-(FPI/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :-
नहोदय,

इस कार्यालय का पत्रांक-1114/12-1 दि० 07.10.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम-पुरुकुल गॉव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र सं०-1.41/12ए-153(2014-17)/डी०एल०आर०सी०/2015 दि० 18.01.2016 के अनुसार ग्राम-खारसी के खाता सं०-000193 के खसरा सं० 2336 रकबा 61.00 है० में से 7.10 है० भूमि अन्तर्गत श्रेणी-5(3)ड-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किया गया था। जिसका संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि द्वारा करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्रांक-211/12 दि० 30.09.2021 से अवगत कराया कि राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी खारसी क्षेत्र व ग्राम प्रधान खारसी के साथ संयुक्त निरीक्षण दि० 16.09.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी खारसी क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित वन भूमि खसरा सं०-2336 में ग्राम खारसी एवं ग्राम थणता का सीमा विवाद चल रहा है एवं इस भूमि पर विगत वर्षों में वनीकरण कार्य भी किये गये हैं। जब तक उक्त ग्रामों का सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता है तब तक उक्त भूमि पर वृक्षारोपण आदि कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त स्थिति से आप अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय देहरादून को अवगत कराते हुये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-खारसी के खाता सं०-000193 के खसरा सं० 2336 रकबा 61.00 है० में से 7.10 है० भूमि अन्तर्गत श्रेणी-5(3)ड-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के बदले किसी अन्य स्थान का चयन कर जो वनीकरण हेतु उपयुक्त हो 7.10 है० सिविल सोयम भूमि को प्रभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4454 / 12-1 उक्तदिनांकित।


प्रतिलिपि-

1-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

3-अधिसासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी



dfc_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
पत्रांक- 5826 / 12-1 दिनांक, चकराता 29 मई 2023

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

विषय :-

जनपद-देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम-पुरुकुल गाँव
भितरली/किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्र
विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०-(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :-
महोदय,


आपका कार्यालय पत्रांक-453 दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या-846/12-ए-153(2020-23) डी.एल.आर.सी. दिनांक 31.01.2023 से विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित 3.528 है० भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-खारसी, तहसील-चकराता की खतौनी खाता सं०-196 के खसरा नं०-549 रकबा 44.350 है० में से 7.10 है० श्रेणी 5-3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि वन विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित/हस्तान्तरित की गई है। जिलाधिकारी, देहरादून के उक्त पत्र से आवंटित भूमि 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है या नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्र सं०-850/12 दिनांक 04.05.2023 (संलग्नक-1) से अवगत कराया गया कि ग्राम-खारसी, तहसील-चकराता की खतौनी खाता सं०-196 के खसरा नं०-549 रकबा 44.350 है० में से मात्र 2.00 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु योग्य है इसके अतिरिक्त शेष भूमि पथरीली एवं ढंगारी है, जो वृक्षारोपण हेतु योग्य नहीं है।

अतः आप अपने स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अन्यत्र भूमि, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, को प्रभाग के नाम आवंटित/हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीया



(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 2-उप जिलाधिकारी, चकराता।
- 3-वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि।


(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

परियोजना का नाम जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावतन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क०सं० 4 में 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षो तक रखरखाव करना।

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का विवरण – मोटीधार क०सं० 4					
जिला	प्रभाग	रेंज	बीट का नाम	कम्पर्टमेंट	क्षेत्रफल (हे० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	मोटीधार	मोटीधार क०सं० 4	7.10

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्डों में रोपित करना।


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीघार क०सं० 4 में 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	घनराशि (रु०में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	940090.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	385350.00
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण	192840.00
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण	142590.00
पंचम वर्ष	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
सप्तम वर्ष	पंचम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
नवम वर्ष	सप्तम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
दसम वर्ष	अष्टम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
एकादश वर्ष	नवम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
द्वादश वर्ष	दशम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
योग		2379270.00
Say		2379170.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क०सं० 4 में 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
1	2	5	6	7	8	9
प्रथम वर्ष – अग्रिम मृदा कार्य						
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना		7.10	प्रति हे०	238.00	1689.80
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना		7.10	प्रति हे०	2518.00	17877.80
3	दो वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)		7810	प्रति पौध	21.64	169008.40
4	गड्डों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)		7810	प्रति गड्डा	0.70	5467.00
5	गड्डे खुदान (0.30cm x0.30 cm x0.45 cm)		7810	प्रति गड्डा	13.00	101530.00
6	कन्टूर फरों का समरेखण		710	प्रति फर	1.37	972.70
7	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी० प्रति हे०)		710	प्रति फर	132.00	93720.00
8	दीवाल बन्दी रनिंग मीटर – चौ०(0.60+0.45)/2 ऊ० 1.20 Mt.	935	589.05	प्र०व०मी०	742.00	437075.10
	आवश्यकतानुसार तारबाढ़ कार्य किया जायेगा।					
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (3बल्ब प्र०मी०)		5610	प्रति बल्ब	2.49	13968.90
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य— (प्राक्कलन संलग्न)		7.10	प्रति हे०	11500.00	81650.00
11	निरीक्षण बटिया		7.10	प्रति हे०	1261.00	8953.10
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय।		7.10	प्रति हे०	1152.00	8179.20
योग :- प्रथम वर्ष						940092.00
या रू-						940090.00
द्वितीय वर्ष – रोपण कार्य						
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)		7810	प्रति पौध	4.14	32333.40
2	पौध डुलान मय 10 प्रतिशत डुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित		7810	प्रति पौध	13.67	106762.70
3	कन्टूर फरों में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग डुलान सहित)		710	प्रति फर	10	7100.00
4	कंकड़-पत्थर छानकर गड्डों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण करना		7810	प्रति गड्डा	2.35	18353.50
5	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी० ऊपर उठाकर भरण कर दबाना तथा जमाना		710	प्रति फर	10	7100.00
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर डुलान सहित		7810	प्रति पौध	4.42	34520.20
7	गड्डों में रासायनिक खाद (25 ग्रा० प्रति गड्डा)/जैविकखाद/जीवामृत/कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित		7810	प्रति पौध	1.55	12105.50
8	निराई-गुडाई व मल्लिचिंग होईंग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट,पैरालाइट,फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		7810	प्रति पौध	10.81	84426.10
9	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर		9	प्रति माह	7018.00	63162.00
10 अग्नि सुरक्षा कार्य						
10.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे०	495	3514.50
10.2	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे०	292	2073.20
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन/ फोटोग्राफी आदि।		7.1	प्रति हे०	1958	13901.80
योग द्वितीय वर्ष :-						385352.90
या रू-						385350.00

तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्विंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		7810	प्रति पौध	6.76	52795.60
3	क्षतिपूर्ति रोपण (Beating up)-क्षतिपूर्ति रोपण (10 प्रतिशत तक)					
i	पौध की कीमत		781	प्रति पौध	30.89	24125.09
ii	पौध का दुलान		781	प्रति पौध	13.67	10676.27
iii	गड़ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावालाबन्दी कर रोपण करना		781	प्रति पौध	19.77	15440.37
4	अग्नि सुरक्षा कार्य					
4.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.5
4.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.2
योग प्रथम वर्षीय अनुरक्षण :-						192841.03
					या रू-	192840.00
चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्विंग कार्य		7810	प्रति पौध	6.76	52795.60
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
3.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
3.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
योग द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण :-						142599.30
					या रू-	142590.00
पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
योग तृतीय वर्षीय अनुरक्षण :-						89803.70
					या रू-	89800.00
षष्ठम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
3.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
3.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
योग चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण :-						89803.7
					या रू-	89800.00
सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50

2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20
-----	--	-----	-----------	-----	---------

योग पंचम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.7

या रू-

89800.00

अष्टम वर्ष - अनुसंधान षष्ठम वर्ष

1	अनुसंधान 12 माह हेतु	12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	7.1	प्रति हे०	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20

योग षष्ठम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.7

89800.00

या

नवम वर्ष - अनुसंधान सातम वर्ष

1	अनुसंधान 12 माह हेतु	12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	7.1	प्रति हे०	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20

योग सातम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.70

89800.00

या

दशम वर्ष - अनुसंधान अष्टम वर्ष

1	अनुसंधान 12 माह हेतु	12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	7.1	प्रति हे०	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20

योग अष्टम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.70

89800.00

या

एकादश वर्ष - अनुसंधान नवम वर्ष

1	अनुसंधान 12 माह हेतु	12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	7.1	प्रति हे०	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20

योग अष्टम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.70

89800.00

या

द्वादश वर्ष - अनुसंधान दशम वर्ष

1	अनुसंधान 12 माह हेतु	12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य				
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	7.1	प्रति हे०	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आम से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	7.1	प्रति हे०	292	2073.20

योग अष्टम वर्षीय अनुसंधान :-

89803.70

या

89800.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
वेदसमूह मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

कुल योग-

2379270.00

या रू-

2379170.00

नपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी र्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावत्रन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क०सं० 4 में 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Unit	Rate	Amount (Rs)			
आर०आर० ड्राई चैकडैम निर्माण कार्य-												
1	स्थल की सफाई करना एवं चिन्हीकरण कार्य	2	x	1	8.00	3.25	52.00	Sqm	38.00	1976.00		
2	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	2	x	1	7.00	1.25	0.50	8.75	cum	325.00	2843.75	
3	आर०आर०ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु पत्थरों की चिनाई करना											
	बुनियाद में	2	x	1	7.00	1.25	0.50	8.75	cum			
	सुपर स्ट्रक्चर प्रथम भाग में	2	x	1	7.60	$\frac{(1.0+0.75)}{2}$	1.20	16.87	cum			
	हेडवाल निर्माण	2	x	2	3.50	$\frac{(0.60+0.50)}{2}$	0.50	3.85	cum			
								Total	29.47	Sqm	1739.00	51248.33
	योग-										56068.08	
गली प्लग निर्माण कार्य-												
1	गली प्लग निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	2	x	1	3.00	0.80	4.80	Sqm	38.00	182.00		
2	गली प्लग निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	2	x	1	2.00	0.60	0.30	0.72	cum	325.00	234.00	
3	आर०आर० ड्राई पत्थरों की चिनाई कार्य-											
	बुनियाद में	2	x	1	2.00	0.60	0.30	0.72	cum			
	सुपर स्ट्रक्चर में	2	x	1	2.50	$\frac{(0.6+0.45)}{2}$	1.00	2.63	cum			
								Total	3.35	Sqm	1739.00	5825.65
	योग-										6241.65	
चालखाल निर्माण कार्य-												
1	चाल-खाल निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	2	x	1	6.00	5.00	60.00	Sqm	38.00	2280.00		
2	चाल-खाल हेतु भूमि खुदान, कटान कार्य-											
	मिट्टी, पत्थर कटान कर स्थल समतलीकरण करना	2	x	1	5.00	4.00	$\frac{(0+0.9)}{2}$	13.00	cum			
	मिट्टी, पत्थर कटान कर गड्ढा खोदना	2	x	1	5.00	4.00	1.00	40.00	cum			
								Total	53.00	cum	325.00	17225.00
	योग-										19505.00	
	कुल योग-										81814.73	
	या रू०-										81650.00	

Rate Analysis for one cum masonry, Devalsari Range, Mussoorie Forest Division
Cartage of Stones from 1 Km. distance

1	कोरे पत्थरों की दीवाल चिनाई कार्य मय पत्थरों की कीमत								859.00
2	100 मीटर के बाद 500 मीटर तक	80%	31	x	1	x	20	496.00	
3	500 मीटर के बाद	60%	16	x	2	x	20	384.00	
	Total							1739.00	

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में पुरकुल-किमाड़ी मोटर मार्ग में पड़ने वाली 3.582 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में गोटीधार क०सं० 4 में 7.10 है० क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


SDG (D)


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी



Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 8' 32.92" E	30° 25' 51.54" N
2	78° 8' 39.5" E	30° 25' 51.21" N
3	78° 8' 40.04" E	30° 25' 50.05" N
6	78° 8' 30.46" E	30° 25' 47.95" N
4	78° 8' 47.69" E	30° 25' 50.82" N
5	78° 8' 41" E	30° 25' 44.97" N

[Signature]
 प्रभागीय वनाधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी

[Signature]
 वन क्षेत्राधिकारी
 मसूरी रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

Legend

- GPS Location
- Proposed Plantation Site

[Signature]
 प्रभागीय वनाधिकारी
 (देहरादून)

[Signature]
 AAE

[Signature]
 A.E

[Signature]
 Executive Engineer
 P.M.E.S.Y.
 Irrigation Division
 Dehradun, (Uttarakhand)

डिजिटल मैप:- जनपद देहरादून में पुरुकुल गांव से गितरली-किमाडी मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



SOI Toposheet No: 53J/03

78°7'30"E

78°10'0"E



Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site



प्रमाणीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

K. CAEI

(Handwritten signature)
मसूरी वन प्रभाग
A.E

उप-प्रमाणीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(Handwritten signature)
Executive Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division
Dehradun (Uttarakhand)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

(1)

दिनांक: 02/05/2020

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली- किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/20710/2016).

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 693/1
जी-FP/UK/ROAD/20710/2016 दिनांक 11-09-2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/20710/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली- किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 हे० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के गाननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

6/4/2020

- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के राखा पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
 7. DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.
 8. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission
 9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
 10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
 11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 12. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 13. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
 14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
 19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 20. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
 23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
 24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
 25. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

 (सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफओसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 62 /12-1

मसूरी, दिनांक- 04 / 07 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गांव से भितरली -किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal NO.- FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :-

- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23, दिनांक- 02.05.2020।
- 2- इस कार्यालय का पत्रांक-5184/12-1, दिनांक-28.03.2022, 4807/12-1, दिनांक-28.02.2022 एवं 2233/12-1, दिनांक-11.11.2020 एवं 5511/12-1, दिनांक-16.04.2022।
- 3- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2445/FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-08.05.2020, 1580/ FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-04.12.2020 एवं 2115/ FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-05.03.2022।
- 4-अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून का पत्रांक- 651/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-25.06.2024।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति (संलग्नक-i) निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय का पत्रांक-2233/12-1, दिनांक-11.11.2020 (संलग्नक-ii) से नोडल कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में नोडल कार्यालय द्वारा अनुपालन आख्या में कतिपय कमियां उनके सन्दर्भित पत्रों (संलग्नक-iii)के द्वारा इंगित की गयी जिनका निराकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या- 4807/12-1, दिनांक-28.02.2022 (संलग्नक-iv) से उपलब्ध करायी गयी।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक - 2115/FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-05.03.2022 (संलग्नक-v) से बिन्दुवार अनुपालन प्रश्न-उत्तर कॉलम में तैयार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या - 5184/12-1, दिनांक-28.03.2022 (संलग्नक-vi) से आपके माध्यम से प्रस्तुत की गयी।

महोदय, सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 एवं 7 के अलावा सभी शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जा चुकी है। शर्त संख्या 3 व 7 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसकी आख्या चकराता वन प्रभाग द्वारा दी जानी थी, जिस हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 5511/12-1, दिनांक-16.04.2022 (संलग्नक-vii)से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग को लिखा गया है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-4454 /12-1, दिनांक-31 मई 2022 (संलग्नक-viii) द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम खारसी सिविल में प्रस्तावित 7.056 हे० भूमि विवादित होने के कारण उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के स्थान पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा ग्राम खारसी में अन्य भूमि भी आवंटित की गयी जो कि मौके पर पथरीली व ढंगारी होने के कारण वृक्षारोपण योग्य नहीं है।(संलग्नक-ix)

महोदय, उक्तानुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त भूमि न होने के कारण प्रकरण में अनुपालन आख्या भारत सरकार को

1/5 cont...

प्रेषित की जानी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिए वर्तमान में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 है० अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिससे सम्बन्धित के०एम०एल० फाईल (CD में), मानचित्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न कर इस पत्र के साथ प्रेषित है। (संलग्नक-ख)

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सन्दर्भित पत्र से उपरोक्त के दृष्टिगत पुनः अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत आपको प्रेषित है :-

शर्त संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। (संलग्नक-1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 2 क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 है० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व में प्रस्तावित 7.056 है० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त न होने के कारण उपरोक्तानुसार मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 है० अवनत वन भूमि चयनित की गयी है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज/मैप/के०एम०एल० फाईल संलग्नक-ख में संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर अति आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या 4 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि ₹ 23,79,170.00 कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्नक-ख में संलग्न है।

5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ०सी० (pt.-2) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक-03.10.2006, 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 3.528 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 3.528 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्कासी हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है।</p> <p>शर्त संख्या 5 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। (संलग्नक-5)</p>
6	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या 6 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन निगम को पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।</p>
7	<p>DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.</p>	<p>शर्त संख्या 7 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)</p>
8	<p>State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor of issue such permission activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.</p>	<p>शर्त संख्या -8 के क्रम में अवगत कराना है कि यदि विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य की अनुमति एक साल के लिए वैध है, जिसके पश्चात कोई निर्माण कार्य विधिवत स्वीकृति से पूर्व नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-8)</p>
9	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किया जाएगा।</p>	<p>शर्त संख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों की कुल धनराशि ₹ 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है।</p>
10	<p>एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>शर्त संख्या 10 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)</p>

11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी के मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पीथों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
13	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यू/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र में ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक-15)
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-16)
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। (संलग्नक-17)
18	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स के द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-18)
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 19 के क्रम में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। (संलग्नक-19)
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक-20)
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। (संलग्नक-21)

22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। (संलग्नक-22)
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या 23 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है।(संलग्नक-23)
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-24)
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 25 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-03 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल में संशोधन एवं प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक - उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में मध्य मूल प्रति)

भवदीय,


(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 62 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738

Fax: +91-135-2769738

email:

eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 651 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख०, देहरादून / अनुरक्षण,

दिनांक 25/06/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वनप्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

- सन्दर्भ:-
- 1-जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं० 1141/12ए-153(2014-17)डी.एल.आर.सी./2015, दिनांक 18.01.2016
 - 2-भारत सरकार का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23, दिनांक 02.05.2020।
 - 3-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र सं०-2445/FP/UK/ROAD/20710/2016 देहरादून दिनांक 08.05.2020।
 - 4-जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं० 846/दिनांक 31.01.2022
 - 5-प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता 5826/12-1,दि० चकराता 29 मई 2023
 - 6-प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी, देहरादून के पत्रांक 4454/12-1चकराता, दिनांक 31.05.2022
 - 7-उप वन संरक्षक मसूरी वन प्रभाग, मसूरी का पत्रांक-2351/12-1मसूरी, दिनांक 09.01.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धन्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। पूर्व में पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तन भूमि के बदले जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं० 1141/12ए-153(2014-17)डी.एल.आर.सी./2015, दिनांक 18.01.2016 के अनुसार ग्राम खारसी तहसील चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा संख्या 2336 रकवा 61.00 है० में से 7.100 है० भूमि के अन्तर्गत श्रेणी 5-3 (ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किया गया था, प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग कालसी, देहरादून के पत्रांक 4454/12-1चकराता, दिनांक 31.05.2022 द्वारा उक्त भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने में असमर्थता जताई गयी एवं उक्त भूमि के बदले किसी अन्य स्थान का चयन कर 7.100 है० भूमि को वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु आग्रह किया गया। उक्त के क्रम में राजस्व विभाग चकराता एवं तत्कालीन रेंज अधिकारी रिखनाड वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खारसी गांव तहसील चकराता में खसरा नं० 549 में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि का चयन किया गया था। तत्पश्चात जिलाधिकारी देहरादून के पत्र सं० 846/दिनांक 31.01.2022 द्वारा वृक्षारोपण हेतु पूर्व में आवंटित भूमि को निरस्त करते हुए खसरा सं० 549 रकवा 44.350 है० में से 7.10 है० श्रेणी 5-3 (ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में आवंटित की गयी है। उक्त के क्रम में दिनांक 06.04.2023 को पी०एम०जी०एस०वाई० देहरादून, राजस्व विभाग चकराता एवं वन विभाग चकराता के द्वारा उक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता 5826/12-1,दि० चकराता 29 मई 2023 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि ग्राम-खारसी तहसील चकराता की खतौनी संख्या 196 के खसरा नं० 549 रकवा 44.350 है० में से मात्र 2.00 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु योग्य है इसके अतिरिक्त शेष 5.10 है० भूमि पथरीली एवं ढंगारी है जो वृक्षारोपण हेतु योग्य नहीं है। पुनः अपर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार पुनः दिनांक 07.06.2023 एवं 21.06.2023 को उक्त भूमि का संयुक्त निरीक्षण पी०एम०जी०एस०वाई० देहरादून, राजस्व विभाग चकराता एवं वन विभाग कालसी द्वारा किया गया

एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी द्वारा उक्त भूमि को वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त बताया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2023 को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई थी जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग मसूरी उत्तराखण्ड भी उपस्थित थे। उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु सुझाव दिया गया कि मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार में पुरुकुल से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल 7.10 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करावाई जा सकती है जिसके क्रम में दिनांक 22.11.2023 को पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड देहरादून के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा वनक्षेत्राधिकारी मसूरी रेंज एवं वन दरोगा मोटीधार के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया जिस क्रम में कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 2351/12-1 मसूरी दिनांक 09.01.2024 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हेक्टेयर का डिजिटल एवं जी0आई0एस0 मैप, क्षतिपूर्वक वनीकरण योजना एवं उसका 10 वर्ष तक रख-रखाव, उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के साथ प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था जिसके क्रम में मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हेक्टेयर का डिजिटल एवं जी0आई0एस0 मैप तैयार कर भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति का बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या-01 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी एवं पूर्व की भांति रक्षित एवं आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी। (प्रमाण-पत्र संलग्न)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त संख्या-02 की अनुपालन आख्या सम्बन्धित नहीं है।
3	<p>प्रतिपूरक वनीकरण:</p> <p>क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 हे० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।</p> <p>ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।।</p>	<p>शर्त सं०-03क के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 हे० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं०-2336 में प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने में असमर्थता जताई गयी जिस क्रम में उपरोक्तानुसार मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण वन विभाग द्वारा किया जायेगा। आख्या सम्बन्धित नहीं है।</p> <p>शर्त संख्या- 3ख के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित कर दिया गया है।</p>

4	<p>प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।</p>	<p>शर्त संख्या 04 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जा चुकी है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित रु० 23,79,170.00 की धनराशि जमा की जा चुकी है।</p> <p>वसूली वर्ष हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण:-</p> <p>सी०ए० हेतु दुगनी अवनत वन भूमि मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हेक्टेयर।</p> <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर प्रति है-337184.00</p> <p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि-2379170.00</p>
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998.एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006.एफ.सी., दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007.एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>शर्त सं०-5क के अनुपालन में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998.एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006.एफ.सी., दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007.एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य रु० 29,81,160.00 में जमा कर दिया गया है।</p> <p>शर्त सं०-5ख के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, जमा कर दी जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण का शपथ पत्र संलग्नक है।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त सं०-6 के अनुपालन में प्रायोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर दिया जायेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत रु० 3,15,338.00 जमा की जा चुकी है।</p>
7	<p>DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.</p>	<p>शर्त सं०-7 के अनुपालन में कार्यवाही कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से की जा रही है।</p>

8	State Govt. Will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. Will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त सं०-8 के अनुपालन में State Govt. Will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. Will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission. इस शर्त का अनुपालन प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	शर्त सं०-9 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा की जा चुकी है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं०-10 के अनुपालन में एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त सं०-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त सं०-12 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें (प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त सं०-13 के अनुपालन में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किये जायेगें (प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त सं०-14 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति क बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं०-15 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति क बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त सं०-16 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त सं०-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)

18	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0-18 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0-19 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त सं0-20 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0-21 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त सं0-22 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या- 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0-23 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होंगी।	शर्त सं0-24 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होंगी। इन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
25	अनुपालनारिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त सं0-25 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या में संलग्नकों के साथ अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं निवेदन है, कि पुरूकुल गांव से भित्तरली किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी) पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर खण्ड को सूचित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

Shriyastava

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड

6-इन्दिरा नगर, देहरादून

पत्राक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0-दे0दून / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त, लो0नि0वि0, मसूरी।
2. श्री शंकर राम, फारेस्ट नोडल, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. सहायक अभियन्ता-पंचम, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड

6-इन्दिरा नगर, देहरादून

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001

दूरभाष-0135-2650809

फैक्स-0135-2653010

ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE

REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)

25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

PHONE- 0135-2650809

FAX- 0135-2653010

Email- moef.ddn@gov.in

56

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१२०/२०१८/एफ०सी०/२३

दिनांक: 02/05/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली- किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/20710/2016).

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 693/1

जी-FP/UK/ROAD/20710/2016 दिनांक 11-09-2018

महोदय,


उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/20710/2016 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद - देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली- किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 हे० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

62/05/22

7. अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
9. DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.
10. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
11. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
12. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
14. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
15. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
16. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
18. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
20. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
21. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
22. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
23. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
24. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
25. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
26. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।
27. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

 (सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

लेपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफओसीओ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
 आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
 तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2445 / FP/UK/ROAD/20710/2016 देहरादून:दिनांक: 08 मई, 2020

संवा में,

अधिसासी अभियन्ता,

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,

6- इन्दिरा नगर, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/120/2018/एफ0सी0/23 दिनांक 02-05-2020.

महोदय,


कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। भारत सरकार के FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु-8, उपबिन्दु-क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार देय धनराशियों को जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा। उक्त डिमाण्ड नोट का नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

2- क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वर्तमान दर से देय धनराशि जमा होने के पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त की जायेगी, जिसे भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु नोडल अधिकारी कार्यालय मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी/सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य सरकार के Online portal "forestclearance.nic.in" पर अपने user account में stage II Clearance में पहले mutation की details (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online करने एवं ऑफ-लाईन तीन-तीन मूल हार्ड प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की जानी है। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा प्रकरण पर अग्रोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,



अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2445 / FP/UK/ROAD/20710/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति सहित। (संलग्न: यथोपरि)



अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

पी.एम.जी.एस.वाई.
कार्यी नं. 400
दिनांक 4/6/20
सिंचाई खण्ड, देहरादून

2445/20
4/6/20

Forest
C.V.

आदेश

अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, 6-इन्दिरा नगर, देहरादून के पत्रांक 1038/पी.एम.जी.एस.वाई./सि०ख०-दे०दून/दिनांक 13.09.2022 के द्वारा जनपद देहरादून में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत ग्राम पुरूकूल गांव से भितरली-किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावेदन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/20710/2016) के क्रम में पूर्व में आवंटित ग्राम खारसी के खाता संख्या 193 खसरा नम्बर 2336 रकबा 61.00 है० में से 7.100 है० श्रेणी 5-3(ड) अन्य कृषि योग्य भूमि को निरस्त करते हुए ग्राम खारसी के खाता संख्या 193 खसरा नम्बर 549 रकबा 44.350 है० श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि मध्य रकबा 7.100 है० भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपजिलाधिकारी चकराता के द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-370/एस०टी०/2022 दिनांक 29.12.2022 द्वारा आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें तहसील चकराता जनपद देहरादून के ग्राम खारसी, के खाता संख्या 196 के खसरा नं० 549 रकबा 44.350 है० मध्ये 7.10 है० श्रेणी 5-3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अतएव इस कार्यालय के पत्र संख्या-1141 /12ए-153(2014-17)/डी.एल.आर.सी./2015 दिनांक 18.01.2016 द्वारा पूर्व में आवंटित ग्राम खारसी के खाता सं० पुराना-193 नया 196 के खसरा नं० 2336 रकबा 61.00 है० में से 7.10 है० भूमि से वन विभाग का नाम निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या-496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 शासनादेश संख्या 111/XXVII (7)50(39)-2015/2014-वित्त (वे०अ०-सा०नि०) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या-1887/XVII(II)/2015-18 (169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2022 दिनांक 15 फरवरी 2002 की शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं उल्लिखित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम खारसी, के खाता संख्या 196 के खसरा नं० 549 रकबा 44.350 है० में से 7.10 है० श्रेणी 5-3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में निम्नांकित शर्तों के अनुसार आवंटित/हस्तान्तरित की जाती है।

- 1- भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- 3- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
- 4- यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।
- 5- वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग की उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा।



- 6- हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे गूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।
- 7- यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- 8- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या: 846/12ए-153 (2020-2023)डी.एल.आर.सी.

दिनांक

31 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

1- राय, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- आयुक्त एवं राय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4- उप जिलाधिकारी, चकराता, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तागत करते हुए अगलदरागद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, 6-इन्दिरा नगर, देहरादून।


1-वर्ष... 2020-23
2-विभाग... XII.A
3-फाइल नं०... 153
4-प्रमांक... 846
5-रजिस्टर नं०... 1

जिलाधिकारी,
देहरादून।

812

8
02/02/23

25-
7



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 5826 / 12-1 दिनांक, चकराता 29 मई 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

विषय :-

जनपद-देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम-पुरुकुल गांव भितरली/किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्र विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०-(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :-
महोदय,

आपका कार्यालय पत्रांक-453 दिनांक 02.05.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या-846/12-ए-153(2020-23) डी.एल.आर.सी. दिनांक 31.01.2023 से विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित 3.528 है० भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-खारसी, तहसील-चकराता की खतौनी खाता सं०-196 के खसरा नं०-549 रकबा 44.350 है० में से 7.10 है० श्रेणी 5-3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि वन विभाग के पक्ष में कतिपय रातों के अधीन आवंटित/हस्तान्तरित की गई है। जिलाधिकारी, देहरादून के उक्त पत्र से आवंटित भूमि 7.10 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है या नहीं, के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्र सं०-850/12 दिनांक 04.05.2023 (संलग्नक-1) से अवगत कराया गया कि ग्राम-खारसी, तहसील-चकराता की खतौनी खाता सं०-196 के खसरा नं०-549 रकबा 44.350 है० में से मात्र 2.00 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु योग्य है इसके अतिरिक्त रोष भूमि पथरीली एवं ढंगारी है, जो वृक्षारोपण हेतु योग्य नहीं है।

अतः आप अपने स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अन्यत्र भूमि, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, को प्रभाग के नाम आवंटित/हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित-

- 1-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 2-उप जिलाधिकारी, चकराता।
- 3-वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि।

(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3910

Diman

23/5/23



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फॉक्स नं०-01360-275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4454 / 12-1

चकराता, दिनांक 31 मई 2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
चकराता।


विषय:- जनपद-देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम-पुरुकुल गाँव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं०-(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक-1114/12-1 दि० 07.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि ग्राम-पुरुकुल गाँव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र सं०-1141/12ए-153(2014-17)/डी०एल०आर०सी०/2015 दि० 18.01.2016 के अनुसार ग्राम-खारसी के खाता सं०-000193 के खसरा सं० 2336 रकबा 61.00 हे० में से 7.10 हे० भूमि अन्तर्गत श्रेणी-5(3)ड-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किया गया था। जिसका संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि द्वारा करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्रांक-211/12 दि० 30.09.2021 से अवगत कराया कि राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी खारसी क्षेत्र व ग्राम प्रधान खारसी के साथ संयुक्त निरीक्षण दि० 16.09.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व उप निरीक्षक/पटवारी खारसी क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित वन भूमि खसरा सं०-2336 में ग्राम खारसी एवं ग्राम थणता का सीमा विवाद चल रहा है एवं इस भूमि पर विगत वर्षों में वनीकरण कार्य भी किये गये हैं। जब तक उक्त ग्रामों का सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता है तब तक उक्त भूमि पर वृक्षारोपण आदि कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त स्थिति से आप अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय देहरादून को अवगत कराते हुये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम-खारसी के खाता सं०-000193 के खसरा सं० 2336 रकबा 61.00 हे० में से 7.10 हे० भूमि अन्तर्गत श्रेणी-5(3)ड-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के बदले किसी अन्य स्थान का चयन कर जो वनीकरण हेतु उपयुक्त हो 7.10 हे० सिविल सोयम भूमि को प्रभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।


भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4454 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

- 1-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-अधिसासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,



कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765



पत्रांक- 2351 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 09 / 01 / 2024

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड,
देहरादून।


विषय :- जनपद देहरादून में पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक- 913/पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख.-दे.दून, दिनांक-30-08-2023 एवं रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज का पत्रांक-977/12-1, दिनांक-29.12.2023।

महोदय,


उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है, जिसके कारण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या भारत सरकार को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। उपरोक्त के क्रम में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष सं० 7.10 है० क्षेत्र क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि रेंज स्तर से समन्वय स्थापित कर उक्त क्षेत्र का डिजीटल एवं GIS मैप क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं उसका 10 वर्ष तक रखरखाव, उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि परिपूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।


उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या :/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

D/May

18/1/24


उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


प्रारूप-1


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-02

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.40 कि०मी० के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अधिकरण को साँपें जाने के बाद ही वन भूमि में कार्य किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-4


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर वनीकरण का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि **रु० 2379170.00** जमा की जा चुकी है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-5


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि की देयता


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान भूमि के अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-8


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

प्रमाण पत्र

This is to Certified that State Government will inform to this office if they pass any order for Tree cutting and commencement of work before stage-II approvals no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

(7)

प्रस्ताव का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गांव से भितरली -किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

उक्त परियोजना के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मसूरी रेंज के अन्तर्गत 7.10 है० अवनत वन भूमि मोटीधार क०सं० 4 में प्रस्तावित की जा रही है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रारूप-11


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) परियोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायी जायेगी।

#

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-12


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) संरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज अनुपालन में लगा दिये जायेंगे।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून




अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-13


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

अंडर/ओवर पास प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर सीडब्ल्यूएलउब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करना पी०एम०जी०एस०वाई० के मानकों के अनुसार नहीं है।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-15

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

ले-आउट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

H

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

PG

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Subir Singh

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-16


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

श्रमिक शिविर स्थापित प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) के वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-17

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-18

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि नमांकन किया जायेगा।

H

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

PGM

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Admirastan


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-19


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग न बनाये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-20

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)


(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र (लागू नहीं है)


प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि शून्य वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-21

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-22


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वनभूमि हस्तान्तरित न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर वनभूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायगी।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-23


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

शर्त उल्लघन न करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन करने पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश, फाईल सं०-11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिशायी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को वहन किये जाने हेतु प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण में रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-24

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) पर यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/अनुदेश आदि लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ली जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-39


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरुकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है, कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारिकों को प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी ताकि आस पास के वृक्षों, वनों एवं जीवों की किसी भी प्रकार की क्षति न हो।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून




अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


प्रारूप-49


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी०) के निर्माण कार्य के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं०-1/16, 1/37, 2/16, 2/32, 2/10, 4/25, /5/1, 6/4, 6/22, 8/1, 8/20, 9/4 एवं 9/24 जो कि लगभग जिसमें 13 नं० डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड साईड में मार्ग के समान्तरण वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवंज लल श्रोतों में नही डाला जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-49.1


परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र


मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यो में जो भी व्यय होगा, उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून



अधिसासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप-56

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि०मी०)

पर्यावरणीय स्वीकृति

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून